न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सं0 49/2017

1. प्राथमिक महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड डूंगरपुर तहसील लालसोट जिला दौसा जरिए अध्यक्ष श्रीमती रूकमणी देवी पत्नि श्री जगदीश मीना निवासी ग्राम डूंगरपुर तहसील लालसोट जिला दौसा।

..अपीलांट

बनाम

1. जिला रसद अधिकरी दौसा जिला दौसा (राजस्थान) ..रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 14.03.2017 द्वारा जिला रसद अधिकारी, दौसा बाबत निरस्ती प्राधिकार पत्र मुकदमा नंबर 480/16।

उपस्थितः 1.श्री रिद्धिचंद शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार

निर्णय

दिनांकः 16.02.2021

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 14.03.2017 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि अपीलांट प्राथमिक महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड डूंगरपुर की अध्यक्ष है और उक्त सहकारी समिति के नाम से अपीलांट ने उचित मूल्य की सामग्री वितरण हेतु जिला रसद अधिकारी से प्राधिकार पत्र संख्या 03/2010 प्राप्त कर रखा है। अपीलांट वितरण क्षेत्र मे विपक्षी द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली राशन सामग्री का उपभोक्ताओं को नियमानुसार वितरण कर रही है। प्रवर्तन निरीक्षक की नाजायज मांगों कों समिति द्वारा पूरी नही कर पाने के कारण प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलंबित करने की धमकी दी व इसी क्रम में दिनांक 24.11.2016 को समिति के सहायक कर्मचारी कमलेश कुमार मीना जिसको समिति द्वारा नई वितरण प्रणाली जो कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों द्वारा वितरण किये जाने की व्यवस्था जारी हो जाने पर समिति द्वारा दिनांक 03.02.2016 को कमलेश कुमार मीना को सहायक के पद पर तुलसीराम मीना की जगह पर पदस्थापित किया गया था। उसी दिनांक से कमलेश कुमार मीना ही समिति का समस्त कार्य संभालता था जिसमे राशन सामग्री का वितरण एवं रिकार्ड संधारण भी शामिल था। कमलेश कुमार की माताजी की तबीयत अचानक खराब हो जाने के कारण तुलसीराम जो कि कमलेश के पिताजी है, उक्त दुकान पर सुरक्षा की दृष्टि से बैठाकर माताजी को अस्पताल लेकर चला गया था। पीछे से प्रवर्तन निरीक्षक आदि निरीक्षण हेतु आ गये। चूंकि तुलसीराम इलेक्ट्रॉनिक मशीन व डाटा के संबंध मे अनभिज्ञ होने से कोई जानकारी नही दे पाया। कमलेश को मौके बुलवाया गया। जिसने प्रवर्तन निरीक्षक व अन्य कर्मचारियों को वांछित दस्तावेज जो दुकान पर उपलब्ध थे उनकी फोटो प्रतियां उपलब्ध करवा दी। प्रवर्तन निरीक्षक लालसोट द्वारा दिनांक 01.12.2016 को

कतई झूंठे तथ्यों के आधार पर जांच रिपोर्ट जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत की जिसमे बिना भौतिक सत्यापन एवं तौल किये बिना महज अनुमान के आधार पर स्टॉक मे शेष सामग्री 29.65 क्वि0 गेहूँ व 15 लीटर केरोसीन अधिक पाया जाना अंकित किया। वास्तविकता में समिति में उपलब्ध स्टॉक रजिस्टर के अनुसार ही वितरण करने के पश्चात शेष स्टॉक सही था जो कि स्टॉक रजिस्टर के अनुसार भौतिक रूप से सही व सत्य था जिसकी प्रवर्तन निरीक्षक व जांच दल द्वारा माप व तोल नहीं की गई। जिला रसद अधिकारी द्वारा आदेश मे उपभोक्ता रामसहाय गुर्जर को माह सितम्बर 2016 से नवम्बर 2016 का केरोसिन नही देना जाहिर किया । उक्त उपभोक्ता कभी केरोसीन लेने नही आया। उपभोक्ता का केरोसीन वितरण रजिस्टर मे नाम दर्ज नही कर रखा है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा कोई अनियमितता नहीं कर रखी है। इसके अतिरिक्त पप्पूलाल गुर्जर को खाद्य सुरक्षा मे नाम होने के बावजूद राशन सामग्री का गेहूँ नही देना जाहिर किया है। जबकि पप्पूलाल गुर्जर द्वारा गैस कनेक्शन प्राप्त कर लिए जाने के कारण केरोसीन देय नहीं है एवं राशन डीलर परसादी मीना के यहॉ से माह अक्टूम्बर 2016 मे 25 कि.ग्रा0 गेहूँ खाद्य सुरक्षा मे उठा लिया है। खाद्य सुरक्षा के तहत एक माह मे एक बार ही ट्रांजेक्शन हो सकता हैं। इसलिए उक्त माह मे ओर सामग्री प्राप्त करने का अधिकारी नही है। इसके अतिरिक्त गंगासहाय मीना के बी0पी0एल0 धारक होने के बावजूद गेहूँ नही देना दर्ज किया गया है, जबकि गंगासहाय वास्तविकता मे बी0पी0एल0 कार्डधारक नहीं है। जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलांट को दिनांक 05.12.2016 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका दिनांक 04.01.2017 को जबाब एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 14.03.2017 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया। अतः अपील पेश कर जिला रसद अधिकारी दौसा का आदेश दिनांक 14.03.2017 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जावे।

विभागीय पैरोकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि अध्यक्ष श्रीमती रूकमणी देवी समिति प्राथमिक महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड डूंगरपुर तहसील लालसोट जिला दौसा ने स्वीकार किया है कि समिति द्वारा पात्र लाभार्थियों की ई–एनएफएसए सूची प्रदर्शन संबंधी खाद्य विभाग के कोई दिशानिर्देश प्राप्त नहीं होने के कारण दुकान पर प्रदर्शन नही किया गया जबकि खाद्य विभाग द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर पात्र लाभार्थियों की ई–खाद्य सुरक्षा सूचियां चस्पा करने हेतु जारी निर्देशों को सभी उचित मूल्य दुकानदारों को तत्समय संबंधित प्रवर्तन निरीक्षकों व समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित कर दिया गया था। समिति द्वारा उचित मूल्य दुकान का संचालन श्री कमलेश मीना के द्वारा किया जा रहा है, जो न तो समिति का व्यस्थापक है और न ही समिति का कर्मचारी/सदस्य है। समिति के द्वारा उचित मूल्य दुकान को अन्य व्यक्ति को सुपुर्द कर संचालन करवाना पाया गया जो अवैध है। वरवक्त जांच दुकान पर तुलसीराम मीना व्यक्ति मिला जिसने स्वंय को समिति का व्यवस्थापक होना बताया परंतु मौके पर एवं बाद मे इस संबंध मे समिति का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया। पॉश मशीन का संचालन श्री कमलेश मीना नाम के व्यक्ति द्वारा करना बताया जिससे यह प्रमाणित होता है कि तुलसीराम व्यवस्थापक द्वारा उचित मूल्य दुकान का संचालन स्वयं द्वारा नही किया जाकर अवैध रूप से अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। समिति द्वारा संचालित दुकान पर पिछले तीन माह से वितरित राशन सामग्री की उपभोक्ताओं को प्रिन्टेड पर्ची नहीं दी गई है जिससे शिकायत पत्र मे अंकित अनियमितताओं की प्रथम दृष्टया पुष्टि होती है। माह सितम्बर 2016 से वक्त जांच तक डीलर को थोक विक्रेताओं द्वारा आपूर्ति मात्रा व कार्यालय से पॉश मशीन से वितरित राशन सामग्री का मिलान वक्त जांच भौतिक सत्यापन पर मिली राशन सामग्री के स्टॉक से करने पर दुकान मे 29.65 क्वि0 गेहूँ व 15 लीटर केरोसीन अधिक होना पाया गया। समिति द्वारा राशन सामग्री का दुरूपयोग किये जाने से प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसमे हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः प्राथमिक महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड डूंगरपुर तहसील

लालसोट जिला दौसा द्वारा "खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013" का स्पष्ट उल्लंधन तथा प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंधन किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा की मूल पत्रावली मे संलग्न फर्द मौका के अनुसार मौके पर राशन डीलर द्वारा पॉश मशीन वितरण की पर्ची प्रस्तुत नहीं करने के कारण राशन सामग्री वितरण व उपलब्ध स्टॉक को मिलान नहीं किया जा सका। उपलब्ध संलग्न स्टॉक रजिस्टर के अनुसार शेष स्टॉक का नियमित रूप से इंन्द्राज किया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट मे कालाबाजारी, गबन जैसी गंभीर अनियमिताओं के आरोप नहीं होने तथा बाद मे प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत रिपोर्ट मे भौतिक सत्यापन पर स्थिति मे गेहूं 29.65 क्वि0 एवं केरोसीन 15 लीटर अधिक पाये जाने के आरोपों के संबंध मे स्थिति स्पष्ट नहीं होने से जिला रसद अधिकारी द्वारा दिनांक 14.03.2017 को पारित निर्णय निरस्त किया जाना न्योयाचित है। किन्तु समिति द्वारा अनाधिकृत व्यक्ति से उचित मूल्य दुकान पर सामग्री का वितरण करवाया जाना नियमों के विरूद्ध है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.2017 निरस्त किया जाता हैं। साथ ही जिला रसद अधिकारी दौसा को आदेश दिये जाते है कि अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री का वितरण कराये जाने पर अध्यक्ष, प्राथमिक महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति लिमिटेड डूंगरपुर तहसील लालसोट जिला दौसा के विरूद्ध नियमोचित कार्यवाही अमल मे लाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा